कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ0ग0)

क्र. 507 /स्था.वि./न.पा.नि./2024 रायगढ़, दिनांक 23.09.2024

//आदेश//

कार्यालयीन आदेश पत्र क्र. 589/6/स्था.वि./न.पा.नि./2015, रायगढ़ दिनांक 15.01.2015 के द्वारा श्री मेदनी मिश्रा को प्रेष्य के पद पर नियमितिकरण का आदेश जारी किया गया जिसके परिपालन में श्री मेदिनी मिश्रा द्वारा दिनांक 15.01.2015 को अभ्यापत्ति पूर्वक अपना कार्यभार ग्रहण किया ।

2/ नियमितिकरण आदेश पत्र क्र. 589/6/स्था.वि./न.पा.नि./2015, रायगढ़ दिनांक 15.01.2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 657 दिनांक 21.01.2015 के द्वारा तत्काल प्रभाव से नियमितिकरण आदेश को निरस्त किया गया। निरस्तीकरण के आदेश के विरूद्ध श्री मेदिनी मिश्रा एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक (एस) 1459/2015 दायर किया गया है जिसमें छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 28.04.2015 को स्थगन आदेश पारित किया गया।

3/ श्री मेदिनी मिश्रा द्वारा दिनांक 21.06.2016 को लंबित वेतन का भुगतान न मिलने एवं याचिका क्रमांक (एस) 1459/2015 के निराकरण होने तक अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ का पत्र दिया गया ।

4/ श्री मेदिनी मिश्रा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 506/स्था.वि./न.पा.नि./2016, रायगढ़ दिनांक 29.11.2016 को 03 दिवस के अंदर कार्य पर उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया एवं पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक 166/स्था.वि./न.पा.नि./2017, रायगढ़ दिनांक 06.07.2017 के द्वारा अपने कार्य पर उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया जिसमें यह लेख किया गया कि कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर सेवा समाप्ति की एकपक्षीय कार्यवाही की जावेंगी। जिसके संबंध में श्री मेदिनी मिश्रा द्वारा दिनांक 26.07.2017 को पत्र दिया गया कि छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तुत याचिका क्रमांक (एस) 188/2016 विचाराधीन है, प्रकरण का निराकरण होने तक आवेदक को प्रेष्य के पद पर कार्य करने हेतु विवश न किया जाय और छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा जो भी निर्णय होगा दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

5/ श्री मेदिनी मिश्रा द्वारा दिनांक 21.06.2016 एवं 26.07.2017 को पत्र दिया गया। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है जो भी निर्णय होगा वह दोनों के लिए बंधनकारी होगा।

6/ छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा प्रकरण क्रमांक (एस) 1459/2015 का निर्णय दिनांक 06.05.2023 एवं प्रकरण क्रमांक (एस) 188/2016 का निर्णय दिनांक 26.02.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता के याचिका को छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा खारिज किया गया है।

श्री मेदिनी मिश्रा, प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़, द्वारा दिनांक 21.06.2016 से आज पर्यन्त तक अनाधिकृत रूप से लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है।

छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा पारित आदेश में भी यह उल्लेखित है कि श्री मेदिनी मिश्रा, प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ लंबे अवधि से अपने कार्य से अनुपस्थित है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 144/एल 2018-04-00428/वि/नि/चार, नया रायपुर दिनांक 22.03.

D:\Sthapna_Vibhag\Adesh

Scanned with OKEN Scanner

2018 के अनुसार छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 11 में प्रावधानित है, कि 05 वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर शासकीय सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ समझा जायेगा एवं छ.ग. मूलभूत नियम 18 के अनुसार किसी भी शासकीय सेवक को 05 वर्ष से अधिक अवधि का अवकाश मंजूर नहीं किया जायेगा।

श्री मेदनी मिश्रा, प्रेष्य, नगर पालिक निगम, रायगढ़ दिनांक 21.06.2016 से अनाधिकृत रूप से 08 वर्षों से अधिक कालावधि से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है।

अतः वित्त निर्देश 49/2013 एवं 15/2018 के अनुपालन में श्री मेदनी मिश्रा, प्रेष्य, नगर पालिक निगम रायगढ़ को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत किया जाता है।

23.9.24

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

पृ. क्र. 507 / स्था.वि. / न.पा.नि. / 2024 रायगढ़, दिनांक 23-09-2024

प्रतिलिपिः–

1. मान. महापौर / सभापति / नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ
5. प्रोग्रामर, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम, रायगढ़ के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ।
6. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. कार्या.अधी. / लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
8. सर्व विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सूचना पटल में चस्पा हेतु।
10. श्री मेदनी मिश्रा पिता श्री बी.एल. मिश्रा, पता–बैकुण्ठपुर रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़,(छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner